रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2127] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 2018/ज्येष्ठ 17, 1940
No. 2127] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 2018/JYAISTHA 17, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2018

का.आ. 2345(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-3 की उप धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चीनी कीमत (नियंत्रण) आदेश, 2018 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं .- इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "चीनी" से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) में यथा परिभाषित चीनी अभिप्रेत है;

(ख) “सफेद चीनी” अथवा “परिष्कृत चीनी” से निर्वात पात्र प्रक्रिया द्वारा उत्पादित चीनी जो आईएस 5982: 2003 के न्यूनतम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो, अभिप्रेत है।

(ग) “भारतीय चीनी मानक ग्रेड” से वह ग्रेड अभिप्रेत है जो निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा दी गई बोतलों में चीनी के मानक मुहरबंद नमूनों द्वारा प्रस्तुत भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हों;

(घ) "कारख़ाना" से आस-पास के अहाते सहित कोई भी परिसर अभिप्रेत है जिसके किसी भी भाग में चीनी का विनिर्माण निर्वात पात्र प्रक्रिया द्वारा किया जाता है;

(ड.) किसी भी चीनी कारखाने के संबंध में "अधिष्ठाता" से वह व्यक्ति जिसके पास चीनी कारखाने के मामलों का संपूर्ण नियंत्रण हो अथवा यदि वह अधिष्ठाता न हो तो चीनी कारखाने का स्वामी अभिप्रेत है;

(च) "उत्पादक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्वात पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी विनिर्माण का कारबार कर रहा हो;

(छ) "चीनी मौसम" से वह अवधि अभिप्रेत है जो किसी वर्ष में अक्तूबर माह के पहले दिन से आरंभ होती है और अगले वर्ष के सितंबर माह के तीसवें दिन समाप्त होती है।

(ज) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां प्रयुक्त किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी चीनी से संबंधित किसी अन्य आदेश में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

3. उत्पादकों और डीलरों को निदेश जारी करने की शक्ति - केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, किसी उत्पादक अथवा आयातक अथवा मान्यता प्राप्त डीलर या उत्पादकों अथवा आयातकों अथवा मान्यता प्राप्त डीलरों के किसी भी वर्ग को बिक्री हेतु चीनी की कीमत के बारे में ऐसे निदेश दे सकेगी जिन्हें वह उचित समझे।

4. चीनी की कीमत विहित करने का तरीका – केन्द्रीय सरकार, खंड 3 के अधीन बिक्री के लिए चीनी की कीमत के बारे में आदेश जारी करते समय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य, गन्ने से चीनी के उत्पादन के लिए परिवर्तन लागत, चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न सह-उत्पादों से प्राप्त लाभों की प्राप्ति और ऐसी अन्य लागतें जिन्हें वह सुसंगत समझे, पर विचार करेगी।

5. सूचना आदि मांगने की शक्ति - केन्द्रीय सरकार, अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इस आदेश या इसके अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन कराने के प्रयोजनार्थ, -

(क) किसी उत्पादक को ऐसी सूचना, विवरणी, रिपोर्ट, चीनी की किसी बिक्री, खरीद अथवा अन्य संव्यवहार का ब्यौरा ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर तथा ऐसे अंतराल पर, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा कर सकेगी;

(ख) चीनी की बिक्री, खरीद अथवा अन्य संव्यवहार का ब्यौरा ऐसी रीति में रखने की अपेक्षा कर सकेगी, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

6. निरीक्षण, प्रवेश, तलाशी, जब्ती आदि की शक्तियां - (1) केंद्रीय सरकार अथवा इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति -

(क) किसी भी उत्पादक अथवा आयातक या मान्यता प्राप्त डीलर को जैसा केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे अभिलेख रखने का निदेश दे सकेगी;

(ख) किसी भी उत्पादक अथवा आयातक या मान्यता प्राप्त डीलर को ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो;

(ग) किसी उत्पादक अथवा आयातक या मान्यता प्राप्त डीलर की किसी बही अथवा किसी दस्तावेज या उसके स्वामित्व के अथवा उसके नियंत्रणाधीन चीनी के स्टाक का निरीक्षण कर सकेगी;

(घ) (i) किसी भी स्थान की जहां चीनी का विनिर्माण किया जाता है, जिसमें वहां स्थापित मशीनरी भी सम्मिलित हैं;

(ii) कोई स्थान, जिसमें यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश का उल्लंघन करते हुए वहां चीनी का संग्रह किया गया है, प्रवेश और तलाशी ले सकेगी;

(ड.) (i) चीनी के परिवहन करने वाले किसी भी व्यक्ति को; अथवा

(ii) किसी भी यान, जलयान अथवा किसी अन्य वाहन जिसका उपयोग इस आदेश के उल्लंघन में चीनी के परिवहन के लिए किया गया हो अथवा जिस वाहन का उपयोग किया जा सकता हो, को रोक और तलाशी ले सकेगी;

(च) किसी ऐसी चीनी को जब्त कर सकेगी जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है अथवा किया जाने वाला है, इसमें पैकेज, आवरण अथवा ग्राही पात्र सम्मलित है जिनमें चीनी पायी जाती है और ऐसी चीनी को ले जाने में पशु, यान, जलयान या अन्य साधन का उपयोग किया गया हो और तत्पश्चात ऐसे पैकेज, आवरण, ग्राही पात्र, पशु, यान, जलयान अथवा अन्य साधन न्यायालय में प्रस्तुत करने और इस प्रकार की प्रस्तुति लम्बित होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे सभी आवश्यक उपाय कर सकेगी।

(2) तलाशी और जब्ती से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 102 और धारा 103 के उपबंध इस खण्ड के अधीन तलाशी और जब्ती के लिए, यथाशक्य, लागू होंगे।

7. शक्तियों का प्रत्यायोजन - केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस आदेश द्वारा इसे प्रदत्त सभी अथवा किसी भी शक्ति का प्रयोग ऐसे निबंधनों, अपवादों तथा शर्तों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, जिन्हें ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है, निम्नलिखित द्वारा भी किया जा सकेगा:

(क) केन्द्रीय सरकार का कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी;

(ख) राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी।

8. आदेशों का अनुपालन - प्रत्येक उत्पादक अथवा आयातक अथवा मान्यता प्राप्त डीलर अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे इस आदेश द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन कोई आदेश अथवा निदेश जारी किया जाता है, ऐसे आदेश अथवा निदेश का अनुपालन करेगा।

[फा. सं. 1(6)/2018-एसपी-1]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2018

S.O. 2345(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title, extent and commencement -** (1) This Order may be called the Sugar Price (Control) Order, 2018.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions -** In this Order, unless the context otherwise requires,-

(a) "sugar" means the sugar as defined in clause (e) of section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

(b) “white sugar” or “refined sugar” means the sugar produced by vacuum pan process conforming to minimum quality parameters of IS 5982:2003;

(c) “Indian sugar standard grades” means the grades represented by the standard sealed samples of sugar in bottles issued by the Director, National Sugar Institute, Kanpur, conforming to the standards of the Bureau of Indian Standards;

(d) "factory" means any premises including the precincts thereof in any part of which sugar is manufactured by vacuum pan process;

(e) "occupier", in relation to any sugar factory, means the person who has ultimate control over the affairs of the sugar factory or the owner of the sugar factory in case he is not the occupier;

(f) “producer” means a person carrying on the business of manufacturing sugar by vacuum pan process;

(g) “sugar season” means the period commencing on the first day of October of a year and ending with the thirtieth day of September in the year next following;

(h) all other words and expression used herein and not defined but defined in the Essential Commodities Act, 1955 or any other Order relating to sugar issued under the Essential Commodities Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act or the Order.

3. **Power to issue direction to producers and dealers -** The Central Government may, from time to time, by general or special order published in the Official Gazette, make such directions regarding price of sugar for sale, as it deem fit, to any producer or importer or recognised dealer or any class of producers or importers or recognised dealers.

4. **Methodology for prescribing price of sugar -** The Central Government shall, at the time of issuing any Order regarding price of sugar for sale under clause 3, take into consideration the fair and remunerative price of sugarcane, conversion costs for production of sugar from sugarcane, realization of profit from by-products generated in the process of sugar production and such other costs as it may consider relevant.

5. **Power to call for information etc. -** The Central Government, or any person authorised by it in this behalf, may for the purpose of securing compliance with this order or any direction issued there under, require -

(a) any producer to furnish such information, returns, reports, accounts of any sales, purchases or other transactions of sugar, in such form, within such period and at such intervals as the Central Government may specify; and

(b) maintenance of accounts of sales, purchases or other transactions of sugar in such manner as the Central Government may specify.

6. **Powers of inspection, entry, search, seizure, etc. -** (1) The Central Government or any person authorised by it in this behalf may, -

(a) direct any producer or importer or recognised dealer to maintain such records as the Central Government may specify;

(b) direct any producer or importer or recognised dealer to furnish such information as the Central Government or such person may require;

(c) inspect any books or any documents or stocks of sugar belonging to or under the control of a producer or an importer or a recognised dealer;

(d) enter and search -

(i) any place where sugar is manufactured including the machinery installed therein;

(ii) any place in which there is reason to believe that sugar is stored in contravention of this order,

(e) stop and search -

(i) any person transporting sugar; or

(ii) any vehicle, vessel or other conveyance used or capable of being used for the transport of sugar, in contravention of this order;

(f) seize any sugar in respect of which the Central Government or such person has reason to believe that contravention of this order has been, is being or is about to be, committed, along with the packages, coverings or receptacles in which sugar is found and the animals, vehicles, vessels, or other conveyances used in carrying such sugar and thereafter take all such measures necessary for securing the production of such packages, coverings, receptacles, animals, vehicles, vessels or other conveyances in a court and for their safe custody pending such production.

(2) The provision of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

7. **Delegation of Powers -**The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that all or any of the powers conferred upon it by this Order shall, subject to such restrictions, exceptions and conditions, if any, as may be specified in such direction, be exercisable also by:

(a) any officer or authority of the Central Government;

(b) a State Government or Union Territory Administration or any officer or authority of the State Government or Union Territory Administration.

8. **Compliance of orders -** Every producer or importer or recognised dealer or other person to whom any order or direction is issued under any powers conferred by or under this order, shall comply with such order or direction.

[F. No. 1(6)/2018-SP-I]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2018

का.आ. 2346(अ).—केन्द्रीय सरकार चीनी कीमत (नियंत्रण) आदेश, 2018 के खण्ड-3 और खण्ड-7 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि-

(क) चीनी का कोई भी उत्पादक अगले आदेश होने तक उनतीस रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कम पर घरेलू बाजार में सफेद अथवा परिष्कृत चीनी की बिक्री नहीं करेगा अथवा बिक्री के लिए सहमत नहीं होगा अथवा अन्यथा निपटान अथवा परिदान नहीं करेगा अथवा परिदान हेतु सहमत नहीं होगा अथवा उस कारखाने, जहां इसका उत्पादन घरेलू बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है, के गोदामों से सफेद अथवा परिष्कृत चीनी को नहीं हटाएगा;

(ख) इस आदेश के प्रवर्तन के लिए इसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 1(6)/2018-एसपी-1]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2018

S.O. 2346(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clauses 3 and 7 of the Sugar Price (Control) Order, 2018, the Central Government hereby directs that -

(a) no producer of sugar shall sell or agree to sell or otherwise dispose off or deliver or agree to deliver white sugar or refined sugar in the domestic market or remove white sugar or refined sugar from the godowns of the factory in which it is produced for sale in the domestic market, at a rate below rupees twenty-nine per kilogram till further orders;

(b) the powers exercisable by it for enforcing this Order shall also be exercisable by the State Government and Union Territory Administration.

2. This order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1(6)/2018-SP-I]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2018

का.आ. 2347(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड-4 और खण्ड-5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि निर्वात पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी का उत्पादन करने वाला प्रत्येक उत्पादक प्रत्येक माह के अंत में सफेद चीनी अथवा परिष्कृत चीनी की उतनी मात्रा रखेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिमाह विनिर्दिष्ट की जाए।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

[फा. सं. 1(6)/2018-एसपी-1]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2018

S.O. 2347(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clause 4 and 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that every producer producing sugar by vacuum pan process shall hold such quantity of white sugar or refined sugar at the end of each month as may be specified by the Central Government for each month.

2. This order shall come into force with immediate effect.

[F. No.1(6)/2018-SP-1]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.06.07 22:30:23 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.